सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद-आजमगढ/मऊ/बलिया प्रेस-विज्ञप्ति   दिनांक 12.06.2024

जनपद –आजमगढ़

01-थाना सिधारी: युवती का विडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 08.06.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि अभियुक्त रूपेश यादव पुत्र हरेन्द्र यादव ग्राम शहबाजपुर थाना सिधारी आजमगढ़ ने वादिनी का नहाते हुये विडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देते हुये वादिनी के घर मे घुस गया तथा वादिनी को मारने पीटने की धमकी देने लगा जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 203/24 धारा 354 ग /376/323/452/506 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 11.06.2024 को उ0नि0 प्रमोद कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रूपेश यादव पुत्र हरेन्द्र यादव ग्राम शहबाजपुर थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र 18 वर्ष को रेलवे ओवर ब्रिज सिधारी से समय करीब 07.40 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

02-थाना- रानी की सराय: मारपीट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 10.06.2024 को वादी मुकदमा हरेन्द्र राजभर पुत्र सूर्यबली राजभर निवासी खैरा थाना रानी की सराय आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि विपक्षी विवेक गुप्ता पुत्र गोपाल गुप्ता निवासी हरवंशपुर थाना सिधारी आजमगढ ने वादी को चाउमीन लेने की बात को लेकर को लेकर गाली गलौज करते हुए मारा-पीटा, दांत से अंगुली काटकर अलग कर दिया एवं जान से मारने की धमकी दिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 158//2024 धारा 323/326/504/506 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 11.06.2024 को उ0नि0 तेजबीर सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विवेक गुप्ता पुत्र गोपाल गुप्ता निवासी हरवंशपुर थाना सिधारी आजमगढ़ को सेमरहा अण्डरपास से समय करीब 08:55 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0न्यायालय किया गया।

03-थाना जहानागंज: दुर्घटना कर मारने-पीटने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 10.06.2024 को वादी मुकदमा लल्लन राम पुत्र रामबचन निवासी देवसीपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादी गाँव से बजार जा रहा था कि रास्ते में अभियुक्त 1-अब्बु शेख पुत्र राशिद शेख व 2-सुहेल अहमद पुत्र बदरे आलम समस्त निवासी मंदे थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने अपनी मोटर साइकिल से मुझे धक्का मार दिये पूछने पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए चाकू/खंजर से जानलेवा हमला किये जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 287/24 धारा 323, 504, 324, 307 भादवि0 व 3(1) द, 3(1) ध, 3(2)(v) एससी एसटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 11.06.2024 को निरीक्षक अपराध सुरेन्द्र दुबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1- अब्बु शेख पुत्र राशिद शेख निवासी मंदे थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष, 2-सुहेल अहमद पुत्र बदरे आलम निवासी मंदे थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को लंगड़ा बाबा के आगे नहर पुलिया से समय करीब 10:40 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

बरामदगी- 01 चाकू (घटना मे प्रयुक्त), 01 मोटर साइकिल

जनपद –मऊ

दिनांक 06.06.2024 की रात थाना घोसी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कुडहनी में छोटे भाई द्वारा बड़े भाई को हथौडी से मारकर की गयी हत्या में संलिप्त अभियुक्त(मृतक का भाई) गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल हथौडी बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में आपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना घोसी पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 11.06.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर

बस स्टैण्ड घोसी के पास से मु0अ0सं0 232/24 धारा 302 भादवि में वांछित अभियुक्त (मृतक का भाई) दिलीप सिंह पुत्र स्व0 लालबहादुर सिंह निवासी कुडहनी थाना घोसी जनपद मऊ की निशान देही पर आलाकत्ल हथौडी बरामद कर गिरफ्तार किया गया।
कडाई से पूछताछ के दौरान उक्त द्वारा बताया गया कि पढाई को लेकर बार-बार बोलते व मारते थे। जिससे तंग आकर गुस्से में आकर दिनांक 06.06.2024 की रात को हथौडी से अपने भाई के सिर पर मारकर हत्या कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. दिलीप सिंह पुत्र स्व0 लालबहादुर सिंह निवासी कुडहनी थाना घोसी जनपद मऊ।

बरामदगी-

1. एक अदद आलाकत्ल हथौडी।

जनपद – बलिया

1. स्वाट/सर्विलांस टीम बलिया व थाना भीमपुरा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना भीमपुरा अन्तर्गत ग्राम भीमपुरा नं0 1 मे विनोद सिंह की चाकू से गला रेत कर हुई हत्या की घटना का किया गया सफल अनावरण, मृतक की पत्नी द्वारा दो लाख रुपये में भाड़े के हत्यारों द्वारा हत्या करायी गयी।

स्वाट/भीमपुरा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद आला कत्ल चाकू घटना मे प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद।

घटना का सफल अनावरण करने वाली टीम को 10,000/- रू0 का पुरस्कार दिया जा रहा है।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक बलिया श्री देव रंजन वर्मा महोदय के कुशल निर्देशन में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री अनिल कुमार झां व क्षेत्राधिकारी रसड़ा महोदय मो0 फहीम कुरैशी के निकट पर्यवेक्षण में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 112/2024 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात में गठित टीम में आज दिनांक 11.06.2024 को सर्विलांस प्रभारी निरीक्षक श्री विश्वनाथ यादव तथा एसओजी प्रभारी उ0नि0 श्री अजय यादव मय टीम व थाना भीमपुरा पुलिस टीम के थानाध्यक्ष श्री मनोज कुमार सिंह मय फोर्स के साथ भीमपुरा चौराहे पर मौजूद थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बेलौझा के तरफ जाने वाले मार्ग पर बाहरपुर पुलिया पर बैठे है मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 नफर अभियुक्त सुनील सिंह पुत्र जनार्दन सिंह निवासी सुरूआँ मिसिरपुर थाना फत्तनपुर जिला प्रतापगढ़ उम्र 25 वर्ष को समय 03.25 AM बाहरपुर पुलिया से गिरफ्तार किया गया। दो अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठा कर फरार हो गये। गिरफ्तार अभियुक्त के निशानदेही पर आलाकत्ल चाकू बरामद किया गया तथा मोटर साइकिल स्पेलेण्डर को धारा 207 MV ACT मे सीज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के बयान के आधार पर घटना मे शामिल जयप्रकाश यादव पुत्र स्व0 बलिराज यादव निवासी कल्यानपुर चरौंवा थाना भीमपुरा जनपद बलिया, अनिता सिंह पत्नी विनोद सिंह निवासी भीमपुरा नं01 थाना भीमपुरा जनपद बलिया (मृतक की पत्नी) को घर पर दबिस देकर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय बलिया रवाना किया जा रहा है।

घटना का कारण-

1. मृतक विनोद सिंह उम्र 55 वर्ष और उसकी पत्नी अनीता सिंह उम्र 45 वर्ष के बीच अच्छे सम्बन्ध नही थे। पत्नी मुम्बई में रहती थीं। विनोद सिंह (मृतक) भीमपुरा में अपनी पत्नी से अलग रहते थे।
2. मृतक लगातार अपनी जमीन/प्रापर्टी बेंच कर गलत कार्यो में बर्बाद कर रहा था।
3. मृतक की पत्नी अनीता सिंह को लगा कि सारी जमीन/प्रापर्टी ऐसे ही बेच देगा, तो उसने सुनील सिंह, अजय चौहान और सन्नी चौहान के साथ मिलकर मारने की योजना बनाई।
4. मारने के लिए पत्नी अनीता सिंह ने 02 लाख रू0 की डील सुनील सिंह के साथ की जिसमें (01 लाख ऑनलाइन ट्रांसफर व शेष कैश)।
5. घटना के दिन 06.06.2024 की शाम को सुनील, अजय और सन्नी 04 बजे शाम को भीमपुरा पहुंच गये। वहां पर इनका किरायेदार जय प्रकाश यादव ने इनकी लोकेशन बताने में मदद की।
6. रात्रि में लगभग 11.30 बजे तीनो पीछे के रास्ते से जाकर विनोद सिंह की हत्या करके भाग गये।
7. आज 03 अभियुक्तों अनीता सिंह, सुनील सिंह, जयप्रकाश यादव को गिरफ्तार कर रिमाण्ड हेतु भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

1. सुनील सिंह पुत्र जनार्दन सिंह निवासी सुरूआँ मिसिरपुर थाना फत्तनपुर जिला प्रतापगढ़
2. जयप्रकाश यादव पुत्र स्व0 बलिराज यादव निवासी कल्यानपुर चरौंवा थाना भीमपुरा जनपद बलिया
3. अनीता सिंह पत्नी विनोद सिंह निवासी भीमपुरा नं01 थाना भीमपुरा जनपद बलिया (मृतक की पत्नी)

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 112/2024 धारा 302/120बी भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना भीमपुरा बलिया।

बरामदगी-

1. 01 अदद आलाकत्ल चाकू
2. 01 अदद मोटर साइकिल स्प्लेण्डर

2. थाना सहतवार जनपद बलिया पुलिस द्वारा थाना सहतवार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 153/2024 धारा 323,504,506,354(घ), 376,511 भा0द0वि0 व 18 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री देव रंजन वर्मा के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् क्षेत्राधिकारी बांसडीह महोदय श्री प्रभात कुमार के निकट पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक सहतवार श्री विकास चन्द पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना सहतवार पुलिस को मिली सफलता।*

आज दिनांक 11.06.2024 को थाना सहतवार पुलिस टीम के उ0नि0 प्रशि0 शशांक पाण्डेय मय हमराह का0 अनिल कुमार द्वितीय के मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 153/2024 धारा 323,504,506,354(घ),376,511 भा0द0वि0 व 18 पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त 1.अभिषेक सिंह उर्फ कल्लू सिंह पुत्र जितेन्द्र सिंह उर्फ ढ़ोढ़ा सिंह ग्राम महराजपुर थाना सहतवार जनपद बलिया उम्र करीब 21 वर्ष को समय करीब 09.15 बजे अभियुक्त के घर के पास ग्राम महराजपुर थाना सहतवार जनपद बलिया से गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 153/2024 धारा 323,504,506,354(घ), 376,511 भा0द0वि0 व 18 पाक्सो एक्ट थाना सहतवार जनपद बलिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. अभिषेक सिंह उर्फ कल्लू सिंह पुत्र जितेन्द्र सिंह उर्फ ढ़ोढ़ा सिंह ग्राम महराजपुर थाना सहतवार जनपद बलिया

3. थाना सहतवार जनपद बलिया पुलिस द्वारा थाना सहतवार जनपद बलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 155/2024 धारा 332,353,307,506 भा0द0वि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक बलिया श्री देव रंजन वर्मा महोदय के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् जी क्षेत्राधिकारी बांसीडह महोदय श्री प्रभात कुमार व प्रभारी निरीक्षक सहतवार श्री विकास चन्द पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना सहतवार पुलिस को मिली सफलता।

दिनांक 11.06.2024 को थाना सहतवार पुलिस टीम के उ0नि0 कमला शंकर गिरि मय हमराह का0 राजेश पटेल, का0 नरसिंह पटेल, हे0का रत्नेश कुमार, का0 अक्षय शुक्ला मय सरकारी वाहन UP60G 0351 चालक का0 अनिल कुशवाहा के द्वारा मु0अ0सं0 155/2024 धारा 332,353,307,506 भा0द0वि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त 1.कैलाश पासवान पुत्र सुरेन्द्र पासवान निवासी वार्ड नं0 01 कस्बा सहतवार थाना सहतवार जनपद बलिया उम्र करीब 45 वर्ष को समय करीब 02.20 बजे अभियुक्त के घर वार्ड नं0 01 कस्बा सहतवार थाना सहतवार जनपद बलिया से गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 155/2024 धारा 332,353,307,506 भा0द0वि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सहतवार जनपद बलिया

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. कैलाश पासवान पुत्र सुरेन्द्र पासवान निवासी वार्ड नं0 01 कस्बा सहतवार थाना सहतवार जनपद बलिया